फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भंवरीबाई | बनाम | विपक्षी : श्रीमती कमला व अन्य

किस्म मुकदमा – धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | पत्रावली संख्या : 119/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 24.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया कि उक्त वाद में खातेदार गमेरा पिता खुमाण मेघवाल लाऔलाद फौत हो गया है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 है जिसके आधार पर घोषणात्मक राहत चाही गई है जिसकी जांच सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है जो धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार को अधिकार प्रदान है ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण को तहसीलदार भीण्डर को लौटाया जाकर धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच कर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने पाया की वादी द्वारा एक वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार गमेरा पिता खुमाण मेघवाल जाति मेघवाल हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा बताया कि गमेरा पिता खुमाण मेघवाल दिनांक 07.09.2011 को फौत हो गये तथा उनकी पत्नी का निधन उनके जीवनकाल में हो गया। खातेदार गमेरा पिता खुमाण निर्वसीयती लाऔलाद फौत हुआ है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं जिसके आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण को तहसीलदार भीण्डर को लौटाया जाकर धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर जांच कराये जाकर नियमानुसार भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराये जाने का निवेदन किया। प्रकरण न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ हैं जिसका क्षैत्राधिकार न्यायलय हाजा को हैं। तहसीलदार भीण्डर को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिससे प्रकरण को तहसीलदार भीण्डर को प्रतिपेषित नहीं किया जा सकता। वादी तहसीलदार भीण्डर के समक्ष अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता हैं। वादी द्वारा अब इस न्यायालय से कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:44:06 IST
Reason: SelfAttested